

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

## आदेश पत्रक

सरफेसी एक्ट वाद संख्या -115/2023

हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेंस लिं. बनाम् रानी रक्षित सिंह वगै०

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई<sup>1</sup>  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख

21/01/25

यह वाद आवेदक प्राधिकृत पदाधिकारी हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेंस लिं. बनाम् 1. Rani Rakshit Singh, R/o Terpa Patratu, Ramgarh, Terpa Mahto Tola, Rural, Dist-Ramgarh 2. Ajay Kumar Singh, R/o Terpa Patratu, Ramgarh, Terpa Mahto Tola, Rural, Dist-Ramgarh द्वारा अन्दर U/S – 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 के तहत दायर आवेदन पर प्रारंभ किया गया। वाद को अंगीकृत करने के उपरांत द्वितीय पक्ष को सूचना निर्गत किया गया एवं संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की।

आवेदक के द्वारा Withdrawal Petition दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि, "This is to certify that your Housing loan having Contract No.-JH/JMR/RNCI/A000000426 has been closed in full and there are no further dues payable under this loan. This is to certify further that Hinduja Housing Finance Limited has no claim or right anymore whatsoever against you and your property in respect of the said loan."

अतः आवेदक के द्वारा समर्पित Withdrawal Petition के आधार पर इस वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावकारी आदेश के समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chander  
21/01/25

उपायुक्त,

रामगढ़।

Chander  
21/01/25

उपायुक्त,

रामगढ़।